सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/267 दर्ज तिथिः–07.08.2023

1. चनणी पत्नी रामकेन
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र देवाराम
   जाति देशान्तरी निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी–बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी–बाड़मेर
3. मैनेजर, भूमि विभाग, ओएनजीसीएल, रागेश्वारी गैस टर्मिनल, नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..........................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री हरिश चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री जगदीश विश्नोई
श्री मुकेश जैन

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–10.02.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी 559/4. 4434 है0 वाके ग्राम नगर में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 560/2.9137 है0 बा.सो. वाके ग्राम नगर से होते हुए कट्टाण रास्ते तक चालू है परंतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 560 में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 560 के पूर्वी भाग से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीनी का कथन है कि प्रार्थीनी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विधिवत तामील पश्चात अप्रार्थीगण असालतन–वकालतन उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 09.05.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना–पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 560 एवं 560 / 1 से होकर प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है। परंतु खसरा संख्या 560 / 1 में वर्तमान में कोई सार्वजनिक रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 560 / 1 ऑयल एवं गैस खोज हेतु ओएनजीसीएल कम्पनी द्वारा अवाप्त भूमि होने एवं उक्त कम्पनी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में ऑयल एवं गैस हेतु पाईपलाईन आदि बिछाने का कार्य करने के साथ कम्पनी द्वारा अवाप्त भूमि के चारों ओर तारबंदी आदि करने के कारण सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–खारिज है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 03 ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि खसरा संख्या 561 / 1 व 560 / 1 व 566 / 1 भूमि ओएनजीसीएल में अवाप्त की थी। जिसमें से खसरा संख्या 561 / 1 व 566 / 1 की भूमि अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा रास्ते के रूप में मौके पर उपयोग में ली जा रही है। अतः प्रार्थी व अन्य व्यक्ति द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरों की भूमि में रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग सुचारू किये जाने में अप्रार्थी संख्या 03 को किसी प्रकार का एतराज नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 03 की भूमि खसरा संख्या 561 / 1 व 566 / 1 को सार्वजनिक रास्ते के लिये सरकारी भूमि घोषित किये जाने से मुक्त रखे जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** - *(1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access proved</u> may, be order, allow the applicant to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 16:46:31 IST
Reason: SelfAttested

*to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, <u>through the shortest or nearest route,</u> or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted <u>or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant **preferably** having the same price and adjoining to his land.</u>*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access is proved,</u> may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:31 IST
Reason: SelfAttested

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

   1. *प्रार्थी की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम उक्त प्रकरण में प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 के अवलोकन से प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 559 वाके ग्राम नगर तहसील गुड़ामालानी तक पहुंचने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा खसरा संख्या 559 वाके ग्राम नगर तक पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 वाके ग्राम नगर में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ता की अनुपस्थिति रिकॉर्ड एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 अनुसार रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार अतः प्रार्थीनी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थीनी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाता है कि उक्त नवीन रास्ता किस

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:31 IST
Reason: SelfAttested

आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **<u>लघुत्तम मार्ग</u>** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी 559 / 4.4434 है0 वाके ग्राम नगर में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर प्रस्तावित मार्ग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 वाके ग्राम नगर में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 वाके ग्राम नगर के पूर्वी भाग से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 560 वाके ग्राम नगर से होकर लघुत्तम मार्ग को प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी का अभिकथन है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 559 तक पहुंच हेतु एक अन्य वैकल्पिक रास्ता दूसरे राजसव गांव भीलों की बस्ती से होकर उपलब्ध है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता दूसरे राजस्व गांव से काफी लम्बी दूरी से चालू है। जो कि प्रकरण में व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

9. इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 के अवलोकन अनुसार प्रार्थीनी द्वारा आवेदित तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 में अंकित रास्ता का मार्ग ही लघुत्तम मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 30 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान तथा भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि उपलब्ध करवाने का विकल्प तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा अप्रार्थीगण अगर सहमत हो तो अप्रार्थीगणों को भूमि के बदले भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जावे। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी के दिनांक 09.05. 2024 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:31 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 09.05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट में आराजी हाल खसरा संख्या 560 वाके ग्राम नगर में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित लम्बाई एवं प्रार्थी द्वारा निवेदित चौडाई, जो कि अधिकतम 30 फुट से कम हो, के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि अथवा प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 09.05.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.25 19:46:31 IST
Reason: SelfAttested